राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4360/2025

क्षितिल फगेडिया

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 10.10.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. निगम, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी मेडिकल कॉलेज सीकर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 15–1–2025 द्वारा मेडिकल कॉलेज सीकर से महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने की दृष्टि से किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27–1–2025 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को अधिकरण में चुनौती दी और अधिकरण ने दिनांक 26–3–2025 द्वारा आदेश पारित किया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 26–3–2025 की पालना में दिनांक 8–4–2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिताजी की मानसिक हालत अच्छी नहीं है उनको हर समय एक आदमी की आवश्यकता होती है और उन्हें रात में चलने की आदत है। (अनुलग्नक–3) चुनौती आदेश दिनांक 17–9–2025 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित कर दिया। (अनुलग्नक–1) चुनौती आदेश दिनांक 17–9–2025 जारी करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 8–4–2025 में वर्णित तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी का लडका जो कि कक्षा 10 में पढ़ता है व लडकी कक्षा 4 में पढ़ती है मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानानतरण किये जाने से उसके बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पडेगा। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी की पत्नी मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति है कि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान अथवा आसपास

पदस्थापित रखा जाय लेकिन उक्त नीति की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानानतरण 370 किलोमीटर दूर कर दिया गया। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 17–9–2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं परिणामस्वरुप अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जाकर अपीलार्थी को वहाँ मिलने वाले वेतन–भत्ते व अन्य लाभों से ही वंचित नहीं किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 17.09.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समग्र रूप से विचार कर अभ्यावेदन निस्तारण किया गया है। हम यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ किसी तरह के दस्तावेज सलंग्न नहीं किए गए है। अपीलार्थी को संभागीय मुख्यालय जोधपुर में पदस्थापित किया, जहां शिक्षा एवं चिकित्सा का उत्तम सुविधाए उपलब्ध है। हम आलौच्य आदेश दिनांक 17.09.2025 में हम कोई नियमविरूद्धता या दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य